प्रवेश हेतु आवश्यक निर्देश एवं नियम :

महाविद्यालय में सभी विषयों एवं कक्षाओं जैसे- बी.ए./बी.एस-सी (कृषि / बी.कॉम. एम.एस-सी (कृषि)/ एम.ए./एम.कॉम बी.पी.एड. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश मेरिट के आधार पर अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होंगे। योग्यता प्रदायी परीक्षा (CET) उत्तीर्ण विद्यार्थी निर्धारित आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करें। आवेदक द्वारा भरी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण जानकारी की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। प्रवेश के समय अभ्यर्थी की समस्त शैक्षिक योग्यता से सम्बन्धित अंकपत्रों प्रमाण पत्रों व अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की फोटो स्टेट प्रतियों प्रस्तुत करनी होगी। स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) एवं चरित्र प्रमाण पत्र मूल रूप में जमा करना होगा। साथ ही सभी अंकपत्रों /प्रमाण पत्रों की जाँच सक्षम अधिकारी के समक्ष मूल प्रमाण पत्रों/ अंकपत्रों से करानी होगी।

1. स्नातक द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष में ऐसे विद्यार्थियों का जिनका परीक्षाफल विलम्ब से घोषित किया गया हो, उनका प्रवेश प्राचार्य द्वारा परीक्षा नियंत्रक द्वारा अंकपत्र निर्गत होने पर विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार किया जाएगा। स्नातक द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष में प्रवेश मात्र इसी महाविद्यालय से उत्तीर्ण विद्यार्थी का ही किया जाएगा। इस सम्बन्ध में भी समय-समय पर जारी किये जाने वाले विश्वविद्यालय के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा। सभी कक्षाओं के सम सेमेस्टर में योग्य विद्यार्थी के परीक्षा परिणाम के आधार पर पंजीकरण किया जायेगा और परीक्षा आवेदन पत्र भरा जा सकेगा।

2. प्रवेश हेतु निर्धारित स्थानों के सापेक्ष शासनादेश के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (SC/ST), अन्य पिछड़ा वर्ग / सामान्य पिछड़ा वर्ग अभ्यार्थियों के लिए स्थान निम्न प्रकार आरक्षित है। प्रवेश के समय सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

आरक्षित श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	क्षैतिज रूप से आरक्षित श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत
अनुसूचित जाति (SC)	21 प्रतिशत	शीरीरिक रूप से दिव्यांग	03 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति (ST)	02 प्रतिशत	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मान्य आश्रितों हेतु	02 प्रतिशत
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	27 प्रतिशत	भूतपूर्व सैनिक एवं युद्ध में अपंग / शहीद रक्षाकर्मीके पाल्यो हेतु	01 प्रतिशत
आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	10 प्रतिशत	कश्मीर के विस्थापितों के लिए	01 प्रतिशत

3. ऐसे अभ्यर्थी जिनके विरुद्ध अपने महाविद्यालय के प्रांगण में अथवा उसके बाहर किसी प्रकार की हिंसा, लड़ाई, झगड़ा करने, भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करने की शिकायत है व जिनके विरुद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य अथवा किसी शिक्षक अथवा कर्मचारी के प्रति अभे व्यवहार करने की शिकायत हो उसका प्रवेश महाविद्यालय में नहीं लिया जाएगा।

4. अध्यादेश के प्राविधानों के अनुसार प्राचार्य किसी भी अभ्यर्थी को बिना कारण बताए प्रवेश देने से मना कर सकते हैं।

5. बैक पेपर परीक्षा हेतु अर्ह पाए जाने वाले अभ्यर्थियों का प्रवेश बैक पेपर परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अगली कक्षा में किया जाएगा।

6. महाविद्यालय के विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश प्राचार्य द्वारा गठित एवं प्रशासकीय समिति द्वारा अनुमोदित प्रवेश समिति द्वारा किया जाएगा।

7. इण्टरमीडिएट परीक्षा के पश्चात् स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु योग्यता सूची में प्राप्त अंकों में से एक वर्ष के अन्तराल 5% दो वर्ष के अन्तराल पर 8% एवं तीन वर्ष के अन्तराल पर 10% अंक काटे जाएंगे।

8. ऐसे अभ्यर्थी जो पिछली परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग करते हुए पकड़े गए हों उनका प्रवेश महाविद्यालय में नहीं लिया जाएगा। परन्तु अनुचित साधन प्रयोग के प्रकरण में सक्षम अधिकारी द्वारा दोषमुक्त किए जाने की दशा में प्राचार्य सम्बन्धित कक्षा में स्थान उपलब्ध होने पर प्रवेश के सम्बन्ध में विचार कर सकते हैं।

9. विश्वविद्यालय परीक्षा में वे ही विद्यार्थी सम्मिलित हो सकेंगे जिनकी उपस्थिति 75% होगी। उपस्थिति में छूट विश्वविद्यालय की परिनियमावली की व्यवस्था के अनुसार विशेष परिस्थितियों में प्राचार्य की संस्तुति पर कुलपति महोदय द्वारा दी जाएगी जो अधिकतम 15% होगी।

10. किसी छात्र/छात्रा को महाविद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारम्भ हो जाने के बाद अपने विषय अथवा संकाय परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।